संशोधित

अप्रैल 22, 2021 कार्यकारी आदेश 2021-07

कार्यकारी आदेश **2021-07**
(COVID-19 कार्यकारी आदेश सं. **77)**

जबकि, मार्च 2020 की शुरुआत से ही, इलिनॉय ने एक ऐसी वैश्विक-महामारी का सामना किया है जो असाधारण रूप से बीमारी एवं जनहानि का कारण बनी है, तथा राज्य और नागरिकों के लिए ,असामान्य चुनौतियां निर्माण की हैं, और,

जबकि, इलिनॉय जैसे जैसे COVID-19 द्वारा उत्पन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य आपदा का सामना करना जारी रखता है, जो कि एक बिलकुल नया, गंभीर, तीव्र श्वसन रोग है जो श्वसन संचरण के माध्यम से तेज़ी से फैलता है, इससे संपूर्ण राज्य के निवासियों, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं, प्रथम उत्तरदाताओं और सरकारों पर जो भारी दबाव पड़ा है वह अभूतपूर्व है; और,

जबकि, हमेशा विशेष रूप से किसी सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट के दौरान, इलिनॉय के निवासियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा का संरक्षण करना राज्य सरकार के सबसे महत्त्वपूर्ण कार्यों में से एक होता है; और,

जबकि, चूंकि राज्यपालीय आपदा उद्घोषणाओं (ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन्स) के दौरान कोविड-19 (COVID-19) इलिनॉय में फैल चुका है, तो संपूर्ण राज्य में आपदा उत्पन्न करने वाली परिस्थितियां बदल चुकी हैं; और,

जबकि, इलिनॉय के अनेक वासियों की त्रासद जनहानि करने एवं दसियों हजार और निवासियों के शारीरिक स्वास्थ्य पर विपत्ति बनकर टूटने के अतिरिक्त, COVID-19 ने विपुल आर्थिक हानि भी की है और यह अभी-भी पूरे राष्ट्र एवं राज्य में उल्लेखनीय संख्या में व्यक्तियों एवं व्यवसायों के आर्थिक कुशलक्षेम को ख़तरे में डाले हुए है; और,

जबकि, महामारी के कारण होने वाले व्यवधान से घरों में बीमारी, व्यापक बेरोजगारी, काम के घंटों में कमी, या अन्य संबंधित विघ्नों के कारण परिवारों द्वारा अपने बिलों का भुगतान करने की क्षमता पर गहरा असर पड़ा है; तथा,

जबकि, कई परिवारों को बड़े कठिन वित्तीय निर्णय लेने पड़े हैं और नियत भुगतान भी रोकना पड़े हैं, जिसमें गैस और बिजली के बिल भी शामिल हैं, जिसके कारण इन सेवाओं से हाथ धोने का बड़ा जोखिम भी उनके सामने उपस्थित हो गया है; और,

जबकि, गैस और बिजली सेवाओं को बंद करने पर रोक 31 मार्च 2021 को समाप्त हो गई थी, और वे परिवार और व्यक्ति जो महामारी से पैदा होने वाली आर्थिक समस्याओं से लगातार संघर्ष कर रहे हैं उन्हें भुगतान न

करने की स्थिति में इन सुविधाओं से वंचित होना पड़ेगा, जिससे कारण उनके सम्मुख और भी बड़ी एवं अतिरिक्त कठिनाई पैदा होगी; तथा,

जबकि, COVID-19 के कारण निवासियों पर वर्तमान में पड़ने वाले हानिकारक आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी प्रभावों पर विचार करते हुए, जो आगामी महीनों में भी जारी रहेंगे, भुगतान न करने के कारण इन उपयोगी सेवाओं को काट देने से निम्न आय वर्ग के परिवारों पर अनुपातहीन बोझ पड़ेगा जो कि राज्य के सबसे कमजोर नागरिकों की सहने की क्षमता से कहीं अधिक होगा; और,

जबकि, उपयोगिता सेवाओं तक निरंतर पहुंच बीमारी के प्रसार को कम करने और लोक स्वास्थ्य और सुरक्षा की रक्षा करने में मदद करेगी; तथा,

जबकि, इलिनॉय डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक ऑपर्चुनिटी (DCEO) ने सप्लीमेंटल लो-इनकम होम एनर्जी असिस्टेंस फण्ड 305 ILCS 20/13 के माध्यम से सेवाओं के कनेक्शन काटने से रोकने में मदद करने हेतु यूटिलिटी बिल भुगतान में सहायता के लिए नई प्रक्रियाएं बनाने पर ध्यान केंद्रित करके निम्न आय वाले परिवारों और व्यक्तियों पर महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए काम किया है; और,

जबकि, इलिनॉय एनर्जी असिस्टेंस एक्ट (अधिनियम), 305 ILCS 20/13 के अनुसरण में, DCEO बिजली या गैस के बिलों, नगरपालिका के बिजली या गैस के बिलों, और विद्युत् सहकारिताओं के ग्राहकों की ओर से जो इस अधिनियम द्वारा अधिकृत किए गए कार्यक्रम के भागीदार हैं, उनके बिजली या गैस के बिलों का भुगतान करने के लिए सप्लीमेंटल लो-इनकम एनर्जी असिस्टेंस फण्ड के धन का उपयोग करेगा, मौसम सेवाओं के प्रावधान के लिए, और सप्लीमेंटल लो-इनकम एनर्जी असिस्टेंस फण्ड के प्रशासन के लिए; तथा,

जबकि, अधिनियम, 305 ILCS 20/6 (a) के अनुसार, DCEO को अधिनियम के तहत सहायता हेतु पात्रता के लिए वार्षिक आय सीमा निर्धारित करनी चाहिए; और,

जबकि, अधिनियम 305 ILCS 20/13 पर यह व्यवस्था भी करता है कि प्रत्येक उपयोगिता द्वारा प्रेषित धन का उपयोग केवल उस उपयोगिता के ग्राहकों को सहायता प्रदान करने के लिए किया जाएगा; तथा,

जबकि, COVID-19 महामारी और उसके परिणामस्वरूप होने वाले सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की प्रतिक्रिया में, अधिनियम 305 ILCS 20/1 et seq की कुछ आवश्यकताओं को अस्थायी रूप से स्थगित करने के लिए, मुझे यह कार्यकारी आदेश जारी करना आवश्यक लगता है; ताकि राज्य अधिक से अधिक पात्र निवासियों को उपयोगिता भुगतान सहायता प्रदान कर सकें, जो गंभीर आर्थिक कठिनाई का सामना कर रहे हैं, ताकि गैस और विद्युत उपयोगिता सेवाओं तक निर्बाध पहुंच सुनिश्चित हो सके;

इसलिए, इलिनॉय राज्य के गवर्नर के रूप में मुझ में निहित शक्तियों, इलिनॉय के संविधान और इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी अधिनियम, (Illinois Emergency Management Agency Act) 20 ILCS 3305 की धारा 7 (1), 7 (2), 7 (3), 7 (8), 7 (9), और 7 (12) के अनुसार और लोक स्वास्थ्य कानूनों की शक्तियों के अनुरूप, मैं 22 अप्रैल, 2021 से प्रभावी निम्नलिखित आदेश दे रहा हूं:

अनुभाग 1: संहिता 1300.202(a) के अनुसरण में सामुदायिक महविद्यालय भांग व्यावसायिक प्रारंभिक कार्यक्रम (कम्युनिटी कॉलेज केनाबिस वोकेशनल पायलट प्रोग्राम) के आवेदन जमा करने की 30 जुलाई, 2021 की समयसीमा 1 सितंबर, 2020, या राज्यपालीय आपदा उद्घोषणाओं (ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन्स) के समापन में से जो भी पहले आए उस तक, स्थगित की जाती है।

1. एनर्जी असिस्टेंस एक्ट, 305 ILCS 20/6(a) के तहत सहायता के लिए आवेदन करने हेतु आवश्यक वार्षिक घरेलू आय सीमा; तथा

2. यह अनिवार्यता कि सप्लीमेंटल लो-इनकम होम एनर्जी असिस्टेंस फण्ड में प्रत्येक उपयोगिता द्वारा प्रेषित राशियों का उपयोग केवल उस उपयोगिता के ग्राहकों को सहायता प्रदान करने के लिए किया जाएगा 305 ILCS 20/13 (g)।

अनुभाग 2. यदि इस सरकारी आदेश के किसी भी प्रावधान या किसी व्यक्ति या परिस्थिति पर इसके अनुप्रयोग को सक्षम अधिकार-क्षेत्र के किसी भी न्यायालय द्वारा अवैध ठहराया जाता है, तो यह अवैधता किसी भी अन्य प्रावधान या इस सरकारी आदेश के अनुप्रयोग को प्रभावित नहीं करती है, जिसे अवैध प्रावधान या अनुप्रयोग

के बिना प्रभावी किया जा सकता है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, इस सरकारी आदेश के प्रावधानों को पृथक्करणीय घोषित किया गया है।

जेबी प्रिट्ज़कर **(JB Pritzker),**
राज्यपाल **(**गवर्नर**)**

राज्यपाल (गवर्नर) द्वारा जारी 22 अप्रैल, 2021
राज्य सचिव (सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट) द्वारा दायर 22 अप्रैल, 2021